

SCX
23.04.12

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Miscellaneous Judicial Jurisdiction Case)

M. J. C. No. of 2012

(Arising out of C.W.J.C. No. 14401 of 2011)

Yogendra Yadav Petitioner

Versus

The State of Bihar & Ors Respondent

Sub.: - Contempt

INDEX

<u>Sl. No.</u>	<u>Annexure</u>	<u>Particulars</u>	<u>Page No.</u>
1.		An application under Section 11 and 12 of the Contempt of Court Act r/w Article 215 of the Constitution of India and Affidavit.	1 - 8
2.	Annexure - 1	Xerox copy of the order dated 30.08.2011 passed in C.W.J.C. No. 14401 of 2011.	9-11
3.	Annexure - 2 Series	Xerox copies of the application dated 12.09.2011.	12-19
4.		<u>VAKALATNAMA</u>	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Miscellaneous Judicial Jurisdiction Case)

M.J.C. No. of 2012

(Arising out of C.W.J.C. No. 14401 of 2011)

In the matter of an application under
Section 11 and 12 of the Contempt
of Court Act r/w Article 215 of the
Constitution of India.

AND

In the matter of;

Yogendra Yadav son of Late Gohal Yadav, Resident of village Karama,
P.S. Puraini, District Madhepura. Petitioner

-Versus -

1. The State of Bihar, through Mr. Anjani Kumar Singh, the Principal Secretary-cum-Commissioner, Human Resource Development Department, Bihar, Patna.
2. Sri Baliram Prasad, the Regional Deputy Education Director, Koshi Division, Saharsa.
3. Sri Upendra Kumar, the District Magistrate, Madhepura.
4. Sri Amerika Prasad, the District Superintendent of Education, Madhepura.

5. Sri Mukesh Kumar Gupta, the Sub-Divisional Officer, Uda Kishunganj, Madhepura.
6. Sri Bimlesh Choudhary, the Sub-Divisional Educational Officer, Uda Kishunganj, Madhepura.
7. Sri Mohan Sharma, the Block Education Extension Officer, Uda Kishunganj, Madhepura.
8. Sri Vinoda Nand Thakur, the District Provident Fund Officer, Madhepura. Contemnor/Opposite Parties

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH: -

1. That the present petition has been filed for initiation of proceeding of contempt against the opposite parties more particularly the District Provident Found Officer, Madhepura for non-compliance of this Hon'ble Court's order dated 30.08.2011 passed in C.W.J.C. No. 14401 of 2011 by the Hon'ble Mr. Justice Rakesh Kumar.

Xerox copy of the order dated 30.08.2011 passed in C.W.J.C. No. 14401 of 2011 is being annexed herewith and marked as Annexure- 1 to this petition.

2. That the petitioner is a citizen of India and residing within the jurisdiction of this Hon'ble Court.
3. That consequent upon attainment of age 60 years on 30.11.2009 the petitioner has retired from the service on 30.11.2009 from the post of Orderly Peon from the office of the Sub-Divisional Education Officer, Uda Kishunganj, District Madhepura and thereafter the petitioner was not released any retrial dues including the provident fund inspite of running office to office submitting representation after representation.
4. That the petitioner humbly states and submits that finding no way out the petitioner filed the writ petition vide C.W.J.C. No. 14401 of 2011 for issuance of writ /directions in the nature of madamus directing to the opposite parties to fixed the pension of the petitioner, to pay the gratuity of the petitioner, salary against leave earned differed direness allowances, group insurance, G.P.F. and other retrial dues.

5. That the petitioner humbly states and submits that after considering the facts and circumstances of the case this Hon'ble Court allowed the writ petition of the petitioner directing the Respondents particularly respondent No. 5 to take all steps for clearing all the retiral dues of the petitioner within a period of six weeks from the date of receipt of copy of the order and it was further directed to Respondent No. 8 (Opposite Party No. 8) District Provident Fund Officer, Madhepura to make payment of G.P.F. along with admissible statutory interest within six weeks from the date of receipt / production of a copy of the order contained in Annexure – 1 of this petition.
6. That the petitioner humbly states and submits that the petitioner submitted an application along with the copy of the order dated 30.08.2011 passed in C.W.J.C. No. 14401 of 2011 to all the opposite parties including the opposite party No. 8, District Provident Fund Officer, Madhepura.

Xerox copies of the application dated 12.09.2011 are being annexed herewith and marked as Annexure – 2, Series to this petition.

7. That the petitioner humbly states and submits that the petitioner has received all the retiral dues but the petitioner has not been given A.C.P. and the difference amount of Central Pay Commission for the period 01.04.2007 to 30.09.2009.
8. That the petitioner humbly states and submits that the petitioner has not been released on account of G.P.F. any money by opposite party No. 8, District Provident Fund Officer, Madhepura in spite of the specific direction to him to make the payment of amount of G.P.F. along with admissible interest within six weeks from the date of receipt/production of the copy of the order.
9. That the petitioner humbly states and submits that the petitioner has already been submitted his representation before all the opposite parties including Opposite party No. 8 but even after the lapse of six months not a single penny has been released to the petitioner on account of G.P.F. more particularly by the opposite party No. 8.
10. That the petitioner humbly states and submits that on the facts and circumstances above it is evident and clear that the opposite parties have got no regard the order and direction of this Hon'ble Court for which they are liable to be punished.

11. That it is specifically submitted that the opposite parties cannot be permitted to this regard and disobey the direction/order of this Hon'ble court and therefore they are liable to be proceeded against for contempt of this Hon'ble Court.
12. That it is submitted that on the facts and circumstances as stated hereinabove the petitioner has been advised to bring the same to the notice of this Hon'ble Court.
13. That the petitioner has not filed any contempt petition earlier before this Hon'ble Court for non-compliance of the order dated 30.08.2011 passed in C.W.J.C. No. 14401 of 2011.

It is therefore prayed that your Lordships may graciously be pleased to issue show cause upon the opposite parties to why proceeding under the Contempt of Court Act be not initiated against them for deliberately and willfully violating the order of this Hon'ble Court as contained in Annexure – 1 to this application and after considering the show cause appropriate order may be passed against the opposite parties.

And / or

Be further pleased to pass such other order/(s) as your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Yogendra Yadav aged about 63 years son of Late Gohal Yadav, Resident of village Karama, P.S. Puraini, District Madhepura, do hereby solemnly affirm & state as follows: -

1. That I am the Petitioner and as such fully acquainted with the facts and circumstances of the case
2. That I have read and understood the contents of this petition / the contents of this petition have been read over / explained and understood by me, and I state that the statements made in paragraph No. 2 to 5, 7 to 13 are true to my knowledge and those made in paragraph No. 14 to 16 are true to information derived from the records of the case and the rest by way of humble submissions before this Hon'ble Court .
3. That the Annexure(s) is / are the true copy(s) of its / their respective originals.

ANNEXURE - 1

⑨

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.14401 of 2011
Yogendra Yadav son of Late Gohal Yadav, Resident of village
Karama, P.S. Puraini, District Madhepura.

... Petitioner.

Versus

1. The State Of Bihar, through the Principal Secretary cum Commissioner, Human Resource Development Department, Bihar, Patna.
2. The Regional Deputy Education Director, Koshi Division, Saharsa.
3. The District Magistrate, Madhepura.
4. The District Superintendent of Education, Madhepura.
5. The Sub-Divisional Officer, Uda Kishunganj, Madhepura.
6. The Sub-Divisional Educational Officer, Uda Kishunganj, Madhepura.
7. The Block Education Extension Officer, Uda Kishunganj, Madhepura.
8. District Provident Fund Officer, Madhepura.

... Respondents.

2. 30.8.2011.

A prayer has been made by Shri Achchelal Prasad, learned A.C. to S.C.10 for adjourning the case for four weeks for filing counter affidavit.

The petitioner, who retired as Peon from the office of Sub-Divisional Education Officer, Udakishunganj, Madhepura with effect from 30.11.2009, has prayed for directing the respondents to pay all his retiral dues as well as his arrear of salary. Learned counsel for the petitioner submits that despite the fact that petitioner retired in the year 2009, till date, nothing has been paid.

My attention has been drawn to

6636 1824824
 00000
 372403
 BIHAR
 JUDICIAL
 DEPARTMENT OF POST
 BIHAR CIRCLE
 AUTH NO. 3185 D1 198722308
 INDIA

Annexure-11 to the writ petition, which a communication made by Regional Deputy Director, Koshi Parmandal, Saharsa to Sub-Divisional Officer, Uda Kishunganj, Madhepura, whereby a direction was issued to make payment of arrears of salary of the petitioner. Learned counsel for the petitioner further submits that the petitioner is in urgent need of money for the purpose of treatment of his wife, who is suffering from serious disease like cancer. Such fact has been stated in paragraph-23 of the writ petition.

In view of the facts and circumstances, particularly, the urgency for granting relief to the petitioner in view of serious ailment of his wife and also in view of Annexure-11 to the writ petition, the court is of the opinion that the writ petition can be allowed at this stage without granting any adjournment.

Accordingly, the writ petition stands allowed directing the respondents, particularly respondent no.5 to take all steps for clearing all the retiral dues of the petitioner within a period of six weeks

11

from the date of receipt/production of a copy of this order. The newly added respondent i.e. respondent no. 8/District Provident Fund Officer is also directed to make payment of amount of G.P.F. along with admissible statutory interest within six weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

N.H./

Sd/-
(Rakesh Kumar, J.)

COPYING

FOR PHOTO COPY
For Joint Officer (J) 8-9-11

879/2011

96/E/14033

सेवा में,

श्रीमान् जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।

संदर्भ:- सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14401 वर्ष 2011 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2011 के आलोक में।

विषय:- मेरे वकाया वेतन एवं भविष्य निधि समेत संपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं योगेन्द्र यादव पिता स्व० गोहल यादव, निवासी ग्राम करामा, थाना पुरैनी, जिला मधेपुरा, सेवा निवृत्त आदेशपाल हूँ। मैं अपनी सेवा से दिनांक 30.11.2009 को श्रीमान् अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा से पूर्ण सेवा समाप्ति के बाद सेवा निवृत्त हुआ हूँ। मेरे सेवा काल का वकाया वेतन का भुगतान सेवा निवृत्ति के बाद भी आज तक नहीं हो पायी है तथा इसके साथ-साथ भविष्य निधि के अलावे किसी प्रकार का सेवा निवृत्ति लाभ यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश लाभ, डेफर्ड डेयरनेश एलॉएन्स, समूह जीवन बीमा, इत्यादि का भी भुगतान नहीं हो पाया है और इस कारण से मुझे काफी आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ मैं अपनी बीमार से ग्रस्त पत्नी का भी इलाज नहीं करा पा रहा हूँ।

उपरोक्त कठिनाईयों के समाधान का आसार नहीं दिखाई देने के कारण मैंने मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका (सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14401 वर्ष 2011, योगेन्द्र यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) के विरुद्ध दायर किया जिसमें सारे तथ्यों के विचारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने आदेश दिनांक 30.08.2011 को आदेश पारित करते हुए श्रीमान् को आदेश दिया है कि मेरे उपरोक्त वर्णित सभी वकाये की रकम छः सप्ताह के अंदर भुगतान की जाय।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 30.08.2011 के आलोक में मेरे वकाये वेतन एवं सेवा निवृत्ति लाभ से संबंधित राशि का भुगतान यथाशीघ्र किया जाय।

अनुलग्नक:-

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14401 वर्ष 2011 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2011 की प्रति।

दिनांक:- 12.9.2011

आपका विश्वासभाजन

योगेन्द्र यादव
(योगेन्द्र यादव)

पिता स्व० गोहल यादव, निवासी ग्राम करामा, थाना पुरैनी, जिला मधेपुरा।

श्रीमान् पता
23/11/11

14

सेवा में,

1. श्रीमान् क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा।
2. श्रीमान् जिलाधिकारी, मधेपुरा,
3. श्रीमान् जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा,
4. श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।
5. श्रीमान् अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।
6. श्रीमान् प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।
7. श्रीमान् जिला भविष्यनिधी पदाधिकारी, मधेपुरा।

संदर्भ:- सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 14401 वर्ष 2011 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2011 के आलोक में।

विषय:- मेरे वकाया वेतन एवं भविष्य निधी समेत संपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं योगेन्द्र यादव पिता स्व0 गोहल यादव, निवासी ग्राम करामा, थाना पुरैनी, जिला मधेपुरा, सेवा निवृत्त आदेशपाल हूँ। मैं अपनी सेवा से दिनांक 30.11.2009 को श्रीमान् अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा से पूर्ण सेवा समाप्ति के बाद सेवा निवृत्त हुआ हूँ। मेरे सेवा काल का वकाया वेतन का भुगतान सेवा निवृत्ति के बाद भी आज तक नहीं हो पायी है तथा इसके साथ-साथ भविष्य निधि के अलावे किसी प्रकार का सेवा निवृत्ति लाभ यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश लाभ, डेफर्ड डेयरनेश एलॉएन्स, समूह जीवन बीमा, इत्यादि का भी भुगतान नहीं हो पाया है और इस कारण से मुझे काफी आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ मैं अपनी बीमार से ग्रस्त पत्नी का भी इलाज नहीं करा पा रहा हूँ।

उपरोक्त कठिनाईयों के समाधान का आसार नहीं दिखाई देने के कारण मैंने मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका (सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 14401 वर्ष 2011, योगेन्द्र यादव वनाम् बिहार सरकार एवं अन्य) के विरुद्ध दायर किया जिसमें सारे तथ्यों के विचारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने आदेश दिनांक 30.08.2011 को आदेश पारित करते हुए श्रीमान् को आदेश दिया है कि मेरे उपरोक्त वर्णित सभी वकाये की रकम छः सप्ताह के अंदर भुगतान की जाय।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 30.08.2011 के आलोक में मेरे वकाये वेतन एवं सेवा निवृत्ति लाभ से संबंधित राशि का भुगतान यथाशीघ्र किया जाय।

अनुलग्नक:-

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 14401 वर्ष 2011 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2011 की प्रति।

दिनांक:- 12.9.2011

आपका विश्वासभाजन

योगेन्द्र यादव
(योगेन्द्र यादव)

पिता स्व0 गोहल यादव, निवासी ग्राम
करामा, थाना पुरैनी, जिला मधेपुरा।

15

सेवा में,

1. श्रीमान् क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा।
2. श्रीमान् जिलाधिकारी, मधेपुरा,
3. श्रीमान् जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा,
4. श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।
5. श्रीमान् अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।
6. श्रीमान् प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।
7. श्रीमान् जिला भविष्यनिधी पदाधिकारी, मधेपुरा।

संदर्भ:- सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14401 वर्ष 2011 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2011 के आलोक में।

विषय:- मेरे वकाया वेतन एवं भविष्य निधी समेत संपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं योगेन्द्र यादव पिता स्व० गोहल यादव, निवासी ग्राम करामा, थाना पुरैनी, जिला मधेपुरा, सेवा निवृत्त आदेशपाल हूँ। मैं अपनी सेवा से दिनांक 30.11.2009 को श्रीमान् अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा से पूर्ण सेवा समाप्ति के बाद सेवा निवृत्त हुआ हूँ। मेरे सेवा काल का वकाया वेतन का भुगतान सेवा निवृत्ति के बाद भी आज तक नहीं हो पायी है तथा इसके साथ-साथ भविष्य निधि के अलावे किसी प्रकार का सेवा निवृत्ति लाभ यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश लाभ, डेफर्ड डेयरनेश एलॉएन्स, समूह जीवन बीमा, इत्यादि का भी भुगतान नहीं हो पाया है और इस कारण से मुझे काफी आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ मैं अपनी बीमार से ग्रस्त पत्नी का भी इलाज नहीं करा पा रहा हूँ।

उपरोक्त कठिनाईयों के समाधान का आसार नहीं दिखाई देने के कारण मैंने मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका (सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14401 वर्ष 2011, योगेन्द्र यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) के विरुद्ध दायर किया जिसमें सारे तथ्यों के विचारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने आदेश दिनांक 30.08.2011 को आदेश पारित करते हुए श्रीमान् को आदेश दिया है कि मेरे उपरोक्त वर्णित सभी वकाये की रकम छः सप्ताह के अंदर भुगतान की जाय।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 30.08.2011 के आलोक में मेरे वकाये वेतन एवं सेवा निवृत्ति लाभ से संबंधित राशि का भुगतान यथाशीघ्र किया जाय।

अनुलग्नक:-

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा
सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14401 वर्ष 2011 में पारित
आदेश दिनांक 30.08.2011 की प्रति।

दिनांक:- 12.09.2011

आपका विश्वासभाजन



(योगेन्द्र यादव)

पिता स्व० गोहल यादव, निवासी ग्राम
करामा, थाना पुरैनी, जिला मधेपुरा,

सेवा में,

1. श्रीमान् क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा।
2. श्रीमान् जिलाधिकारी, मधेपुरा,
3. ✓ श्रीमान् जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा,
4. श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।
5. श्रीमान् अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।
6. श्रीमान् प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।
7. श्रीमान् जिला भविष्यनिधी पदाधिकारी, मधेपुरा।

संदर्भ:- सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14401 वर्ष 2011 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2011 के आलोक में।

विषय:- मेरे वकाया वेतन एवं भविष्य निधी समेत संपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं योगेन्द्र यादव पिता स्व० गोहल यादव, निवासी ग्राम करामा, थाना पुरैनी, जिला मधेपुरा, सेवा निवृत्त आदेशपाल हूँ। मैं अपनी सेवा से दिनांक 30.11.2009 को श्रीमान् अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा से पूर्ण सेवा समाप्ति के बाद सेवा निवृत्त हुआ हूँ। मेरे सेवा काल का वकाया वेतन का भुगतान सेवा निवृत्ति के बाद भी आज तक नहीं हो पायी है तथा इसके साथ-साथ भविष्य निधि के अलावे किसी प्रकार का सेवा निवृत्ति लाभ यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश लाभ, डेफर्ड डेयरनेश एलॉएन्स, समूह जीवन बीमा, इत्यादि का भी भुगतान नहीं हो पाया है और इस कारण से मुझे काफी आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ मैं अपनी बीमार से ग्रस्त पत्नी का भी इलाज नहीं करा पा रहा हूँ।

उपरोक्त कठिनाईयों के समाधान का आसार नहीं दिखाई देने के कारण मैंने मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका (सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14401 वर्ष 2011, योगेन्द्र यादव वनाम् बिहार सरकार एवं अन्य) के विरुद्ध दायर किया जिसमें सारे तथ्यों के विचारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने आदेश दिनांक 30.08.2011 को आदेश पारित करते हुए श्रीमान् को आदेश दिया है कि मेरे उपरोक्त वर्णित सभी वकाये की रकम छः सप्ताह के अंदर भुगतान की जाय।


अतः श्रीमान् से निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 30.08.2011 के आलोक में मेरे वकाये वेतन एवं सेवा निवृत्ति लाभ से संबंधित राशि का भुगतान यथाशीघ्र किया जाय।

अनुलग्नक:-

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14401 वर्ष 2011 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2011 की प्रति।

दिनांक:- 12.9.2011

आपका विश्वासभाजन



(योगेन्द्र यादव)

पिता स्व० गोहल यादव, निवासी ग्राम करामा, थाना पुरैनी, जिला मधेपुरा।

12

सेवा में,

1. श्रीमान् क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा।
2. श्रीमान् जिलाधिकारी, मधेपुरा,
3. श्रीमान् जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा,
4. श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।
5. श्रीमान् अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।
6. श्रीमान् प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।
7. श्रीमान् जिला भविष्यनिधी पदाधिकारी, मधेपुरा।

संदर्भ:- सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14401 वर्ष 2011 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2011 के आलोक में।

विषय:- मेरे वकाया वेतन एवं भविष्य निधी समेत संपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं योगेन्द्र यादव पिता स्व० गोहल यादव, निवासी ग्राम करामा, थाना पुरैनी, जिला मधेपुरा, सेवा निवृत्त आदेशपाल हूँ। मैं अपनी सेवा से दिनांक 30.11.2009 को श्रीमान् अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा से पूर्ण सेवा समाप्ति के बाद सेवा निवृत्त हुआ हूँ। मेरे सेवा काल का वकाया वेतन का भुगतान सेवा निवृत्ति के बाद भी आज तक नहीं हो पायी है तथा इसके साथ-साथ भविष्य निधि के अलावे किसी प्रकार का सेवा निवृत्ति लाभ यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश लाभ, डेफर्ड ट्रेयरनेश एलॉएन्स, समूह जीवन बीमा, इत्यादि का भी भुगतान नहीं हो पाया है और इस कारण से मुझे काफी आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ मैं अपनी बीमार से ग्रस्त पत्नी का भी इलाज नहीं करा पा रहा हूँ।

उपरोक्त कठिनाईयों के समाधान का आसार नहीं दिखाई देने के कारण मैंने मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका (सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14401 वर्ष 2011, योगेन्द्र यादव वनाम् बिहार सरकार एवं अन्य) के विरुद्ध दायर किया जिसमें सारे तथ्यों के विचारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने आदेश दिनांक 30.08.2011 को आदेश पारित करते हुए श्रीमान् को आदेश दिया है कि मेरे उपरोक्त वर्णित सभी वकाये की रकम छः सप्ताह के अंदर भुगतान की जाय।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 30.08.2011 के आलोक में मेरे वकाये वेतन एवं सेवा निवृत्ति लाभ से संबंधित राशि का भुगतान यथाशीघ्र किया जाय।

अनुलग्नक:-

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14401 वर्ष 2011 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2011 की प्रति।

दिनांक:- 12-9-11

आपका विश्वासभाजन

योगेन्द्र यादव

(योगेन्द्र यादव)

पिता स्व० गोहल यादव, निवासी ग्राम करामा, थाना पुरैनी, जिला मधेपुरा।

सेवा में,

1. श्रीमान् क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा।
2. श्रीमान् जिलाधिकारी, मधेपुरा,
3. श्रीमान् जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा,
4. श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।
- ✓ 5. श्रीमान् अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।
6. श्रीमान् प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।
7. श्रीमान् जिला भविष्यनिधी पदाधिकारी, मधेपुरा।

संदर्भ:- सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 14401 वर्ष 2011 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2011 के आलोक में।

विषय:- मेरे वकाया वेतन एवं भविष्य निधी समेत संपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं योगेन्द्र यादव पिता स्व0 गोहल यादव, निवासी ग्राम करामा, थाना पुरैनी, जिला मधेपुरा, सेवा निवृत्त आदेशपाल हूँ। मैं अपनी सेवा से दिनांक 30.11.2009 को श्रीमान् अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा से पूर्ण सेवा समाप्ति के बाद सेवा निवृत्त हुआ हूँ। मेरे सेवा काल का वकाया वेतन का भुगतान सेवा निवृत्ति के बाद भी आज तक नहीं हो पायी है तथा इसके साथ-साथ भविष्य निधि के अलावे किसी प्रकार का सेवा निवृत्ति लाभ यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश लाभ, डेफर्ड डेयरनेश एलॉएन्स, समूह जीवन बीमा, इत्यादि का भी भुगतान नहीं हो पाया है और इस कारण से मुझे काफी आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ मैं अपनी बीमार से ग्रस्त पत्नी का भी इलाज नहीं करा पा रहा हूँ।

उपरोक्त कठिनाईयों के समाधान का आसार नहीं दिखाई देने के कारण मैंने मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका (सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 14401 वर्ष 2011, योगेन्द्र यादव वनाम् बिहार सरकार एवं अन्य) के विरुद्ध दायर किया जिसमें सारे तथ्यों के विचारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने आदेश दिनांक 30.08.2011 को आदेश पारित करते हुए श्रीमान् को आदेश दिया है कि मेरे उपरोक्त वर्णित सभी वकाये की रकम छः सप्ताह के अंदर भुगतान की जाय।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 30.08.2011 के आलोक में मेरे वकाये वेतन एवं सेवा निवृत्ति लाभ से संबंधित राशि का भुगतान यथाशीघ्र किया जाय।

अनुलग्नक:-

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 14401 वर्ष 2011 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2011 की प्रति।

दिनांक:- 12.09.2011

आपका विश्वासभाजन

(Handwritten Signature)

(योगेन्द्र यादव)

पिता स्व0 गोहल यादव, निवासी ग्राम करामा, थाना पुरैनी, जिला मधेपुरा।

सेवा में,

1. श्रीमान् क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा।
2. श्रीमान् जिलाधिकारी, मधेपुरा,
3. श्रीमान् जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा,
4. श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।
5. श्रीमान् अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।
6. श्रीमान् प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।
7. श्रीमान् जिला भविष्यनिधी पदाधिकारी, मधेपुरा।

यु.ए.के. 11/12/11

संदर्भ:- सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14401 वर्ष 2011 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2011 के आलोक में।

विषय:- मेरे वकाया वेतन एवं भविष्य निधी समेत संपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं योगेन्द्र यादव पिता स्व० गोहल यादव, निवासी ग्राम करामा, थाना पुरैनी, जिला मधेपुरा, सेवा निवृत्त आदेशपाल हूँ। मैं अपनी सेवा से दिनांक 30.11.2009 को श्रीमान् अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा से पूर्ण सेवा समाप्ति के बाद सेवा निवृत्त हुआ हूँ। मेरे सेवा काल का वकाया वेतन का भुगतान सेवा निवृत्ति के बाद भी आज तक नहीं हो पायी है, तथा इसके साथ-साथ भविष्य निधि के अलावे किसी प्रकार का सेवा निवृत्ति लाभ यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश लाभ, डेफर्ड डेयरनेश एलॉएन्स, समूह जीवन बीमा, इत्यादि का भी भुगतान नहीं हो पाया है और इस कारण से मुझे काफी आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ मैं अपनी बीमार से ग्रस्त पत्नी का भी इलाज नहीं करा पा रहा हूँ।

उपरोक्त कठिनाईयों के समाधान का आसार नहीं दिखाई देने के कारण मैंने मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका (सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14401 वर्ष 2011, योगेन्द्र यादव वनाम् बिहार सरकार एवं अन्य) के विरुद्ध दायर किया जिसमें सारे तथ्यों के विचारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने आदेश दिनांक 30.08.2011 को आदेश पारित करते हुए श्रीमान् को आदेश दिया है कि मेरे उपरोक्त वर्णित सभी वकाये की रकम छः सप्ताह के अंदर भुगतान की जाय।


अतः श्रीमान् से निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 30.08.2011 के आलोक में मेरे वकाये वेतन एवं सेवा निवृत्ति लाभ से संबंधित राशि का भुगतान यथाशीघ्र किया जाय।

अनुलग्नक:-

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14401 वर्ष 2011 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2011 की प्रति।

दिनांक:- 12.9.2011

आपका विश्वासभाजन


(योगेन्द्र यादव)

पिता स्व० गोहल यादव, निवासी ग्राम करामा, थाना पुरैनी, जिला मधेपुरा।